

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5949 /

जबलपुर, दिनांक 24/09/2021

श्री परमजीत सिंह चाना, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से मान्यता प्राप्त एन.ई.एस. विधि महाविद्यालय, जबलपुर से एलएल.बी त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2021-2022 जिसमें कक्षाओं का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 07:00 बजे तक है जो छात्र उक्त समय पर कक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पाते उनके लिये महाविद्यालयों द्वारा शनिवार एवं अतिरिक्त समय पर कोर्स पूरा कराने के लिये आयोजित विशेष कक्षाओं में प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे, शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/5950 /

जबलपुर, दिनांक 24/09/2021

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. एस.पी.एस.ए.(एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
 3. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. श्री परमजीत सिंह चाना, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)